[2020] 1 उम. नि. प. 284

जय प्रकाश

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

[2019 की दांडिक अपील सं. 1790-1791 (इसके साथ 2019 की दांडिक अपील सं. 1792-1793)]

28 नवंबर, 2019

न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती, न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 120ख – हत्या और आपराधिक षड्यंत्र – प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य में विसंगतियों का पाया जाना और उनको स्पष्ट न किया जाना – अन्वेषण घटना घटने के शीघ्र पश्चात् आरंभ हो जाने के बावजूद घटनास्थल से अभियुक्तों द्वारा मृतक पर चलाई गईं गोलियों के खोल आदि बरामद न किया जाना – चिकित्सीय साक्ष्य अभियोजन के वृत्तांत के संगत न होने के कारण अभियोजन का पक्षकथन संदेहास्पद पाया जाना – अभियुक्तों को दोषमुक्त किया जाना – जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा अति निकट से घटना घटते हुए देखे जाने का अभिवाक् किया गया हो और फिर भी उनके साक्ष्य में घटना घटने के बारे में तात्विक विसंगतियां पायी गईं हों और घटनास्थल से गोलियों के खोल और छर्रे आदि भी बरामद न किए गए हों तथा चिकित्सीय साक्ष्य से भी अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन न होता हो, वहां अभियुक्तों को संदेह का फायदा देते हुए उनकी दोषमुक्ति उचित है और किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

अपील के तथ्यों के अनुसार, अपीलार्थी-शिकायतकर्ता का भाई मृतक सुबह शौच से निवृत्त होकर घर वापस आया । उस समय, संजय मिश्रा और अजय कुमार (अभि. सा. 3), मैकू सोनी नामक व्यक्ति की पुत्री के विवाह के सिलसिले में बिजली की सजावट के कार्य के संबंध में चर्चा करने के लिए मृतक के मकान पर आए थे । अपीलार्थी ने रवि प्रकाश

को अजय कुमार (अभि. सा. 3) और संजय मिश्रा के लिए गुटका लाने के लिए भेजा । गुटका खरीदने के पश्चात् जब वह दुकान से वापिस आ रहा था और अभियुक्त सं. 3-शंकर तेली की आटा चक्की के सामने पहुंचा तो अभियुक्त भूपेन्द्र यादव (अभि.-2) जो दुनाली बंदूक से लैस था, अभियुक्त राजू तेली (अभि.-4) जो एकनाली बंदूक से लैस था और अभियुक्त लालू **उर्फ** लाल दीवान (अभि.-1) जो देशी पिस्तौल से लैस था, ने मृतक रवि प्रकाश को पकड़ लिया । रवि प्रकाश ने शोर मचाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की । अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने मृतक रवि प्रकाश की छाती में गोली मारी, अभियुक्त राजू तेली ने टांग में गोली मारी और अभियुक्त लालू **उर्फ** लाल दीवान ने मृतक के जबड़े में गोली मारी । रवि प्रकाश घटनास्थल पर नीचे गिर गया । अपीलार्थी-जय प्रकाश, अजय कुमार (अभि. सा. 3) और संजय मिश्रा, जिन्होंने घटना देखी और मृतक रवि प्रकाश को बचाने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े । उन्हें आता देखकर अभियुक्त व्यक्ति आटा चक्की से बाहर आए और घटनास्थल से भाग गए । अभि. सा. 1-जय प्रकश ने घटना के संबंध में मुन्नी लाल नामक व्यक्ति से शिकायत लिखवाई और उसी दिन 9.30 बजे पूर्वाह्न में अपीलार्थी ने पुलिस थाना रथ में इसे दर्ज किया । इस शिकायत के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन 1992 के अपराध मामला सं. 474 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 120ख के अधीन दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । प्रत्यर्थी-अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए कि ओम प्रकाश के पास अपने भाई रवि प्रकाश की हत्या होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या अभिकथन करने के लिए अपने भाई अभि. सा. 1 को उकसाने का हेतु था, यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने इन निष्कर्षों के साथ अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर कीं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को

अपास्त कर दिया और उन्हें दोषमुक्त कर दिया । शिकायतकर्ता-अपीलार्थी तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अभियुक्तों की दोषमुक्ति के निर्णय से व्यथित होकर उच्चतम न्यायालय में अपीलें फाइल की गईं । उच्चतम न्यायालय द्वारा अपीलें खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – प्रत्यर्थी-अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 आयुधों से लैस होकर शंकर तेली की आटा चक्की में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित हेतु यह है कि घटना से लगभग दो वर्ष पूर्व ओम प्रकाश-अपीलार्थी जय प्रकाश के भाई ने अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के अवैध कार्यकलापों के बारे लिखा था और समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित कराया था, जिसके कारण अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने ओम प्रकाश पर हमला किया था । इस बाबत ओम प्रकाश ने पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और इस दुश्मनी के कारण अभियुक्तों ने अभिकथित रूप से रवि प्रकाश की हत्या की थी । अपीलार्थी जय प्रकाश और रवि प्रकाश दोनों ओम प्रकाश के भाई हैं । यदि अभियुक्त रवि प्रकाश के भाई-ओम प्रकाश से बदला लेने की ताक में थे तो प्रत्यर्थी-अभियुक्तों ने जय प्रकाश (अभि. सा. 1) को अपहानि कारित किए बिना कैसे छोड़ दिया था, इतना ही नहीं, जबकि अभि. सा. 1 को प्रसामान्यत: सुबह की सैर पर जाने की आदत थी । यदि अपराध के हेतु को स्वीकार किया जाता है तो ओम प्रकाश के सभी भाइयों को निशाना बनाया जाता, किंतु यहां हमला केवल मृतक भाई पर किया गया था और अभि. सा. 1 को छोड़ दिया गया था । यद्यपि हमलावर पूरी तरह से आयुधों से लैस थे और घटनास्थल के निकट थे । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, अभियोजन का यह पक्षकथन स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 ने रवि प्रकाश पर हमला किया था, जो गुटखा खरीदने के पश्चात् संयोगवश आटा चक्की से होकर गुजर रहा था । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य के अनुसार मुन्ना मुसलमान के चबूतरे पर एक गुमटी स्थित है, जिससे गुटखा लिया जा सकता है । यह गुमटी अपीलार्थी के मकान से केवल 15 कदम दूर है और चोको कोरी

की दुकान, जहां से रवि प्रकाश गुटखा खरीदने के लिए गया था, लगभग 150-200 कदम की दूरी पर है, यानि कि अपीलार्थी के मकान से 100-125 कदम दूर । यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि मृतक अपने मकान के ठीक निकट से गुटखा नहीं लेकर अपने मकान से कुछ दूरी की दुकान पर क्यों गया था । निस्संदेह, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि उसने रवि प्रकाश को गुटखा खरीदने के लिए धन दिया था, तथापि, तत्पश्चात् उसने यह कथन किया कि चोको कोरी की दुकान में उधार का खाता बनाए रखा गया था । जो यह कारण बताया गया है कि रवि प्रकाश बिजली की सजावट के कार्य के अपने प्रत्याशित ग्राहक को छोड़कर थोड़ी दूर स्थित चोको कोरी की दुकान से गुटखा खरीदने गया था, वह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है । अभि. सा. 3-अजय कुमार मोहल्ला मुगलपुरा नगर और पुलिस थाना रथ, जिला हमीरपुर का निवासी है । अभि. सा. 3 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि वह संजय मिश्रा के साथ अभि. सा. 1 के मकान पर गया था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया कि उसने अभि. सा. 1 को बाहर से पुकारा था और जब वह अभि. सा. 1 से बात कर रहा था, तब अभि. सा. 1 ने रवि प्रकाश को दुकान से अजय कुमार और संजय मिश्रा से गुटखा लाने के लिए कहा था । जैसी कि पहले चर्चा की गई है जब अभि. सा. 3 मैकू की पुत्री के विवाह समारोह के लिए बिजली की सजावट के कार्य के बारे में चर्चा करने के लिए अभि. सा. 1 के मकान पर गया था, तब न तो मैकू और न ही उसके परिवार का कोई सदस्य मैकू की पुत्री के विवाह समारोह में बिजली कार्य के बारे में चर्चा करने के लिए अभि. सा. 3 के साथ गया था । अभि. सा. 3 अपनी प्रतिपरीक्षा में वह कारण स्पष्ट नहीं कर सका कि वह अभि. सा. 1 के मकान पर क्यों गया था । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभि. सा. 3 एक संयोगी साक्षी है और तारीख 17 नवंबर, 1992 को घटनास्थल पर अभि. सा. 3 की मौजूदगी के बारे में संदेह व्यक्त किया है और यह न्यायालय एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई उचित कारण नहीं पाता है । घटना के बारे में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य के बीच कई तात्विक विसंगतियां हैं । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि जब रवि प्रकाश

रास्ते से गुजरा, तब प्रत्यर्थी-अभियुक्त आटा चक्की से बाहर आए और रवि प्रकाश के साथ कुछ समय के लिए हाथापाई हुई तथा अभियुक्तों ने अपनी बंदूकों और पिस्तौल से गोलियां चला दीं । दूसरी ओर, अभि. सा. 1 ने केवल यह कथन किया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्तों ने रवि प्रकाश पर गोली चलाई थी और हाथापाई होने के बारे में कोई कथन नहीं किया है । साक्षियों से, जिन्होंने पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया था, मामले की हू-ब-हू याद रखने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है । इस न्यायालय को इस स्थिर स्थिति का भान है कि अभियोजन पक्षकथन के सार भाग को प्रभावित न करने वाली विसंगतियों से साक्षियों या अभियोजन के पक्षकथन की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा । निस्संदेह, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने न्यायालय में लगभग एक दशक के पश्चात् वर्ष 2003-04 में साक्ष्य दिया था, किंतु उन्होंने कथित रूप से घटना को अति निकट से देखा था । रवि प्रकाश और प्रत्यर्थी-अभियुक्तों के बीच हाथापाई हुई थी या नहीं, यह मुख्य घटना का एक अभिन्न भाग है और साक्षियों से अपने समनुरूप बयान देने की प्रत्याशा की जाती है । हाथापाई हुई थी या नहीं, इस बारे में अभि. सा. 1 और 3 के बयान में आई विसंगतियों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और इस बात से भी अभियोजन के पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । अभि. सा. 1 और 3 के अभिसाक्ष्य के अनुसार, अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने मृतक की छाती पर गोली मारी थी, लालू **उर्फ** लाल दीवान ने जबड़े पर गोली मारी थी और राजू तेली ने मृतक की टांग पर गोली मारी थी । तारीख 17 नवंबर, 1992 की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अग्न्यायुध के चार विदीर्ण घाव थे । छाती, जांघ और टांग पर क्षतियों के अतिरिक्त घुटने के 2 सें. मी. ऊपर दांईं जांघ पर अग्न्यायुध की एक क्षति थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने चौथी अग्न्यायुध की क्षति के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, न ही उन्होंने अभियुक्तों द्वारा कई सारी गोलियां चलाने का कोई उल्लेख किया है । चिकित्सीय साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच यह विसंगति साक्षियों द्वारा दिए गए विस्तृत अभिसाक्ष्यों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जिसमें संपूर्ण घटना का

सूक्ष्म ब्योरा दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो जाती है । मामले के अन्वेषण में भी मृतक पर बंदूकों से दागे गए कारतूसों के "खोल" की बरामदगी न होना, प्रत्यर्थी-अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त किए गए अग्न्यायुधों आदि की बरामदगी न होना जैसी कई सारी चूक हैं । यह सुस्थिर है कि अन्वेषक अधिकारी की ओर से किया गया कोई लोप अभियोजन के पक्षकथन के विरुद्ध नहीं जा सकता है । यदि अन्वेषक अधिकारी ने उस बात का लोप किया है जो उसे न्याय के हित में करनी चाहिए थी, इससे यह अभिप्रेत है कि अन्वेषक अधिकारी से ऐसे कृत्यों या लोप को अभियुक्त के पक्ष में नहीं लिया जाना चाहिए । अभि. सा. 5 अन्वेषक अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि कारतूसों के टूटे हुए टुकड़े, कारतूसों के छर्रे और खाली खोल घटनास्थल से बरामद नहीं हुए थे । अभि. सा. 4 पुलिस उप निरीक्षक ने भी घटनास्थल से "कारतूसों के खाली खोलों" की बरामदगी के बारे में उल्लेख नहीं किया है । निस्संदेह, अभियोजन के पक्षकथन पर केवल आयुधों की बरामदगी न होने या अन्य साक्ष्य के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है । किंतु वर्तमान मामले में घटना के ठीक पश्चात् अर्थात् 9.30 बजे पूर्वाह्न में एक विस्तृत लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 5) ने शीघ्रता से अन्वेषण का कार्य संभाला था और अभि. सा. 5 उप निरीक्षक आर. एन. सिंह ने अभि. सा. 5 के निर्देश पर घटनास्थल से सादा और रक्त रंजित मिट्टी ली थी तथा मृतक के एक जोड़ी चप्पल और किसान गुटखे का पैकेट बरामद किया था तथा उनका बरामदगी ज्ञापन बनाया था, जो क्रमशः प्रदर्श क 10 और प्रदर्श क 11 हैं । जब अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से किसान गुटखे के पैकेट तक की बरामदगी करने में सावधानी बरती थी तो विचित्र बात है कि दागे गए कारतूसों के "खोल" बरामद नहीं किए गए थे । "खोल" जैसे तात्विक साक्ष्य गायब थे, किंतु इस महत्वपूर्ण लोप को स्पष्ट नहीं किया गया था । यह तथ्य विशिष्ट रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मायने रखता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिकथित रूप से घटना, जो 9.00 बजे पूर्वाह्न में घटी थी, के पश्चात् शीघ्रता से 9.30 बजे पूर्वाह्न रजिस्ट्रीकृत की गई थी ।

मृत्युसमीक्षा भी 10.00 बजे पूर्वाह्न में की गई थी और अन्वेषण भी शीघ्रता से आरंभ किया गया था । अभियुक्त-प्रत्यर्थी अभिकथित रूप से मृतक पर गोली चलाने के ठीक पश्चात् घटनास्थल से भाग गए थे, इस प्रकार उनके द्वारा संभवत: स्वयं कारतूसों, उनके टुकड़ों आदि को नहीं उठाया जा सकता था । यह अभियोजन का पक्षकथन नहीं है । अभियोजन का यह भी पक्षकथन नहीं है कि वह साफ क्षेत्र था और किसी ने "खोलों" को उठा लिया था । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, घटनास्थल से "कारतूसों के छर्रे और खाली खोलों" और "कारतूसों के टूटे हुए टुकड़े" की बरामदगी न होने से वास्तविक घटनास्थल के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लोप का कोई कृत्य/अन्वेषक अधिकारी का लोप अभियुक्त के फायदे में नहीं जा सकता है । किंतु इस प्रकृति के मामले में जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के आधे घंटे के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी और अन्वेषण भी उसी समय आरंभ हो गया था, यह न्यायालय ऐसा कोई कारण नहीं पाता है कि घटनास्थल से "खोल" और "छर्रे" क्यों बरामद नहीं किए गए थे । वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण किया है और अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन में की तात्विक विसंगतियों का मूल्यांकन करने में गलती की है । उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को दोषमुक्त करते हुए अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में ऐसी कोई कमी नहीं है, जिससे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करना अपेक्षित हो । शिकायतकर्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं । (पैरा 16, 18, 19, 20, 21, 22 और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2008] (2008) 11 एस. सी. सी. 153 :

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम **पुन्नी और अन्य** । 24

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2019 की दांडिक अपील सं. 1790-1791. (इसके साथ 2019 की दांडिक अपील सं. 1792-1793)

2005 की दांडिक अपील सं. 2403 और इसके साथ 2005 की दांडिक अपील सं. 5829 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तारीख 16 नवंबर, 2018 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील ।

हाजिर होने वाले पक्षकारों की ओर से सर्वश्री आर. बसंत, अजय कुमार मिश्रा, बासव प्रभु एस., ज्येष्ठ अधिवक्तागण, मनोज के. मिश्रा, राजीव त्रिवेदी, ज्योति मिश्रा, एम. कृष्णन जी., शशांक शेखर सिंह, (सुश्री) रुचिरा गोयल, मैसर्स नजीश फातिमा, अजय सिंह, देवाशीष मुखर्जी, मनीष प्रताप सिंह, रामजी पांडेय, पी. के. शर्मा, उदय प्रकाश यादव, काफिल अहमद, सुजीत कुमार, अभिष्ठ कुमार, कार्तिकेय भार्गव और रोहित अमित स्थालेकर

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति (श्रीमती) आर. बानुमती ने दिया ।

न्या. (श्रीमती) बानुमती – इजाजत दी गई ।

2. ये अपीलें 2005 की दांडिक अपील सं. 2403 और 5829 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 16 नवंबर, 2018 को पारित किए गए उस आक्षेपित निर्णय से उद्भूत हुई हैं, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 की भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 120ख के अधीन पारित की गई दोषसिद्धि को अपास्त करते हुए अपीलें मंजूर कीं और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 120ख के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया ।

3. अपीलार्थी शिकायतकर्ता ने इस दोषमुक्ति से व्यथित होकर

दांडिक अपीलें फाइल की हैं जो 2019 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 269-70 से उद्भूत हुई हैं । उत्तर प्रदेश राज्य ने अन्य दांडिक अपीलें फाइल की हैं जो 2019 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 288-89 से उद्भूत हुई हैं ।

4. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन निम्न प्रकार से है:–

शिकायतकर्ता जय प्रकाश और मृतक रवि प्रकाश सगे भाई हैं । तारीख 17 नवंबर, 1992 को पूर्वाह्न में 9.00 बजे से कुछ पूर्व अपीलार्थी शिकायतकर्ता उरई बस अड्डे के निकट शौच से निवृत्त होकर घर वापस आया । उस समय उसने शंकर तेली अभियुक्त सं. 3 (जिसे विचारण न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है) की आटा चक्की में अभियुक्त व्यक्तियों को अपने पास आयुध लिए बैठे हुए देखा । शिकायतकर्ता अपने मकान पर आया । उस समय संजय मिश्रा और अजय कुमार (अभि. सा. 3) मैकू सोनी नामक व्यक्ति की पुत्री के विवाह के सिलसिले में बिजली की सजावट के कार्य के संबंध में चर्चा करने के लिए मृतक के मकान पर आया । अपीलार्थी ने रवि प्रकाश को अजय कुमार (अभि. सा. 3) और संजय मिश्रा के लिए गुटका लाने के लिए भेजा । गुटका खरीदने के पश्चात् जब वह दुकान से वापिस आ रहा था और अभियुक्त सं. 3 शंकर तेली की आटा चक्की के सामने पहुंचा तो अभियुक्त भूपेन्द्र यादव (अभि. 2) जो दुनाली बंदूक से लैस था, अभियुक्त राजू तेली (अभि. 4) जो एकनाली बंदूक से लैस था और अभियुक्त लालू **उर्फ** लाल दीवान (अभि. 1) जो देशी पिस्तौल से लैस था, ने मृतक रवि प्रकाश को पकड़ लिया । रवि प्रकाश ने शोर मचाकर स्वयं को छुड़ाने की कोशिश की । अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने मृतक रवि प्रकाश की छाती में गोली मारी, अभियुक्त राजू तेली ने टांग में गोली मारी और अभियुक्त लालू **उर्फ** लाल दीवान ने मृतक के जबड़े में गोली मारी । रवि प्रकाश घटनास्थल पर नीचे गिर गया। अपीलार्थी जय प्रकाश, अजय कुमार (अभि. सा. 3) और संजय मिश्रा, जिन्होंने घटना देखी और मृतक रवि प्रकाश को बचाने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े । उन्हें आता देखकर अभियुक्त-व्यक्ति आटा चक्की से बाहर आए और घटनास्थल से भाग गए ।

5. शिकायतकर्ता के अनुसार अपराध कारित करने का हेतु अपीलार्थी के ओमप्रकाश नामक एक अन्य भाई द्वारा साप्ताहिक जर्नल अगस्तनामा नामक समाचारपत्र में अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के कार्यकलापों के संबंध में समाचार प्रकाशित करने के कारण अपीलार्थी के परिवार के साथ अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के मन में पुरानी दुश्मनी थी । इसी कारण से अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने ओमप्रकाश की पिटाई की थी और ओमप्रकाश ने अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। घटना से कुछ समय पहले अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने अपीलार्थी की भी पिटाई की थी और शिकायत के आधार पर अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के विरुद्ध एक मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अपीलार्थी के अनुसार, उक्त दुश्मनी के परिणामस्वरूप अभियुक्तों द्वारा रवि प्रकाश पर गोली चलाई गई थी और उसकी हत्या की गई थी ।

6. अभि. सा. 1 जय प्रकश ने घटना के संबंध में मुन्नी लाल नामक व्यक्ति से शिकायत लिखवाई और उसी दिन 9.30 बजे पूर्वाह्न में अपीलार्थी ने पुलिस थाना रथ में इसे दर्ज किया । इस शिकायत के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120ख के अधीन 1992 के अपराध मामला सं. 474 में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । मामले का अन्वेषण अन्वेषक अधिकारी अभि. सा. 5 शोभामणि त्रिपाठी द्वारा किया गया । अन्वेषक अधिकारी घटनास्थल पर गया और उसके निदेशाधीन उप निरीक्षक आर. एन. सिंह ने मृतक रवि प्रकाश के शव की मृत्युसमीक्षा की । रवि प्रकाश के शव को मरणोत्तर परीक्षा के लिए अस्पताल भेजा गया । उप निरीक्षक आर. एन. सिंह ने घटनास्थल से सादा और रक्तरंजित मिट्टी के नमूने लिए और मृतक की एक जोड़ी चप्पल (प्रदर्श क 10) तथा किसान गुटखे का पैकेट (प्रदर्श क-11) बरामद किए और बरामदगी ज्ञापन तैयार किया ।

7. उसी दिन अर्थात् तारीख 17 नवंबर, 1992 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न में रवि प्रकाश का शव राजकीय पुरुष चिकित्सालय, रथ भेजा गया, जहां डा. बी. के. गुप्ता द्वारा शव की मरणोत्तर परीक्षा की गई और उन्होंने निम्नलिखित क्षतियां पाईं :–

(i) छाती की बाईं तरफ हंसली के मध्य में बाईं तरफ 4 सें.

मी. नीचे और छाती की मध्य रेखा के 3 सें. मी. बाईं तरफ अग्न्यायुध प्रविष्टि का विदीर्ण घाव ।

(ii) अंसफलक क्षेत्र के बाईं तरफ, पीठ की मध्य रेखा के 3 से. मी. बाईं ओर अग्न्यायुध निकास का विदीर्ण घाव ।

(iii) निचले जबड़े पर ठुड्ढी की नोंक के 5 सें. मी. दाईं तरफ अग्न्यायुध प्रविष्टि का विदीर्ण घाव ।

(iv) घुटने के जोड़ के 7.5 सें. मी. ऊपर दाईं जांघ के पीछे अग्न्यायुध का विदीर्ण घाव ।

(v) घुटने के जोड़ के 20 सें. मी. ऊपर दाईं जांघ पर अग्न्यायुध प्रविष्टि का विदीर्ण घाव ।

(vi) दाईं जांघ के अग्र भाग पर घुटने के जोड़ के 10 सें. मी. ऊपर अग्न्यायुध निकास का विदीर्ण घाव ।

(vii) दाईं टांग के मध्यवर्ती भाग पर मध्य गुल्फिका के ऊपर कई सारी खरोंचें ।

अभि. सा. 2 डाक्टर ने यह राय व्यक्त की कि मृतक की मृत्यु पूर्व की क्षतियों के परिणामस्वरूप रक्त-स्राविक सदमे के कारण मृत्यु हुई थी और मरणोत्तर परीक्षा प्रमाण पत्र-प्रदर्श क 2 जारी किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने के पश्चात् सभी चारों अभियुक्तों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 120 ख के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया ।

8. सभी अभियुक्तों से जब प्रश्न पूछे गए तो उन्होंने आरोपों से इनकार किया और दोषी न होने का अभिवाक् किया । अभियुक्तों की दोषिता को सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल 6 साक्षियों प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अभि. सा. 1 और 3 तथा डाक्टर अभि. सा. 2 और अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 5) तथा अन्य साक्षियों की परीक्षा की । विचारण न्यायालय ने साक्ष्य पर विचार करने के उपरांत अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 120-ख के अधीन दोषसिद्ध किया और उन्हें आजीवन कारावास भुगतने का दंडादेश दिया । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि

प्रत्यक्षदर्शी अभि. सा. 1 जय प्रकाश, मृतक का भाई और अभि. सा. 3 अजय कुमार के साक्ष्य स्वाभाविक और स्वीकार्य हैं । विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 3 अजय कुमार ने अभि. सा. 1 के मकान पर अपनी मौजूदगी के लिए समाधानप्रद कारण दिए हैं और अभि. सा. 1 के मकान के बाहर अभि. सा. 3 की मौजूदगी स्वाभाविक है और संदेह नहीं किया जा सकता है । जहां तक संजय मिश्रा और मोहल्ले में के अन्य व्यक्तियों की परीक्षा न कराए जाने का संबंध है, विचारण न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि वर्तमान सामाजिक दशाओं और परिस्थितियों में स्वतंत्र साक्षियों को यह संदेह है कि यदि वे दांडिक मामलों में साक्षियों के रूप में उपसंजात होते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित नहीं होगा और इसलिए स्वतंत्र साक्षियों की परीक्षा न कराने से अभियोजन के पक्षकथन पर असर नहीं पड़ेगा । विचारण न्यायालय ने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट और अभि. सा. 2 डाक्टर के साक्ष्य को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि चिकित्सा साक्ष्य से अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य की संपुष्टि होती है । विचारण न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया कि बंदूकों की बरामदगी न होने और अभियुक्तों द्वारा अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य में बताए गए विरोधाभासों से अभियोजन के पक्षकथन पर असर नहीं पड़ेगा । विचारण न्यायालय ने इन निष्कर्षों के साथ अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को दोषसिद्ध किया । तथापि, विचारण न्यायालय ने अभियुक्त सं. 3 शंकर तेली को संदेह का फायदा दिया और उसे दोषमुक्त कर दिया ।

9. प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क 3) को निर्दिष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 1 जैसे अनपढ़ व्यक्ति के लिए इतने कम समय में ऐसे ब्यौरों के साथ शिकायत दर्ज कराने की संभावना कम है और इस संभाव्यता से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट विचार-विमर्श करने के पश्चात् और ओम प्रकाश के परामर्श पर दर्ज कराई गई थी । उच्च न्यायालय ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के

अभिसाक्ष्य को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया कि उस स्थल पर और घटना के समय पर साक्षियों की मौजूदगी संदेहास्पद प्रतीत होती है । उच्च न्यायालय ने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट को निर्दिष्ट करने के पश्चात् यह भी अभिनिर्धारित किया कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि मृतक की बड़ी आंत भरी हुई थी और इसलिए मृत्यु रवि प्रकाश के शौच से निवृत्त होने पूर्व हुई होगी क्योंकि सामान्यतया लोग सवेरे ही शौच से निवृत्त हो जाते हैं और यह कम संभावना है कि मृतक 9.00 बजे पूर्वाह्न से पूर्व शौच से निवृत्त न हुआ हो । घटनास्थल पर और घटना के समय अभि. सा. 3 की मौजूदगी पर संदेह करते हुए उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अभि. सा. 3 वह कारण उचित रूप से स्पष्ट नहीं कर सका कि वह क्यों अभि. सा. 1 के मकान पर गया था और उसका बयान अस्वाभाविक प्रतीत होता है । उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख करते हुए कि ओम प्रकाश के पास अपने भाई रवि प्रकाश की हत्या होने पर अभियुक्तों के विरुद्ध मिथ्या अभिकथन करने के लिए अपने भाई अभि. सा. 1 को उकसाने का हेतु था, यह अभिनिर्धारित किया कि अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को संदेह का फायदा दिया जाना चाहिए । उच्च न्यायालय ने इन निष्कर्षों के साथ अभियुक्तों द्वारा फाइल की गई अपीलें मंजूर कीं और विचारण न्यायालय द्वारा पारित की गई उनकी दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त कर दिया और उन्हें दोषमुक्त कर दिया ।

10. अपीलार्थियों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ कांउसेल, श्री आर. बसंत ने साक्ष्य और विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह दलील दी कि अभि. सा. 1 ने घटना के प्रत्येक ब्यौरे का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है जिसकी संपुष्टि पूरी तरह से अभि. सा. 3 द्वारा की गई है और अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य स्वाभाविक हैं तथा उनके साक्ष्य चिकित्सा साक्ष्य तथा अभियोजन के पक्षकथन के संगत हैं । यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने सुस्थिर स्थिति पर विचार करते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित किया था कि जनसामान्य आगे आकर न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य देने के लिए अनिच्छुक होते हैं और अभियोजन साक्षियों की

परीक्षा न कराने के लिए अभियोजन के पक्षकथन को नामंजूर करना उचित नहीं है । यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में गलती की है कि स्वतंत्र साक्षियों और शिकायत लिखने वाले मुन्नी लाल की परीक्षा न कराया जाना अभियोजन के पक्षकथन के लिए घातक है । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह दलील दी कि घटनास्थल से लिए गए रक्तरंजित और सादा मिट्टी के नमूने न भेजने जैसी अन्वेषण में चूक और घटनास्थल से "खाली कारतूसों की बरामदगी न करना" तथा अन्य चूक से अभियोजन के पक्षकथन पर कोई असर नहीं पड़ता है और उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की दोषसिद्धि को उलट कर और दोषमुक्त करके गलती की है ।

11. अभियुक्त सं. 2 भूपेन्द्र यादव की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री बासव प्रभु एस. पाटिल ने यह दलील दी कि ओम प्रकाश अभि. सा. 1 के भाई का हेतु समझा जा सकने वाला है और जब अभियुक्तों की ओम प्रकाश के साथ ऐसी दुश्मनी थी तो यह ज्ञात नहीं है कि अभियुक्त ने क्यों रवि प्रकाश पर हमला किया और अभि. सा. 1 को कोई क्षति कारित नहीं की, जो रवि प्रकाश के शंकर तेली (अभि. सा. 3) की आटा चक्की से होकर गुजरने से पूर्व आसानी से अभियुक्तों के लिए उपलब्ध था । विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभि. सा. 3 एक संयोगी साक्षी है और इसलिए अभि. सा. 1 के मकान में उसकी मौजूदगी स्वाभाविक नहीं है और अभि. सा. 3 ने घटना नहीं देखी थी । यह भी दलील दी गई कि उच्च न्यायालय ने ठीक ही घटना की इस अनधिसंभाव्यता का उल्लेख किया है कि अभियुक्त जो शंकर तेली की आटा चक्की में प्रतीक्षा कर रहे थे, ने यह पूर्व प्रत्याशा नहीं की होगी कि रवि प्रकाश आटा चक्की से होकर गुजरेगा और उच्च न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन की अनधिसंभाव्यता पर विचार करते हुए ठीक ही दोषसिद्धि को उलट दिया और आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

12. अभियुक्त सं. 4 राजू तेली की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल, श्री पी. के. शर्मा ने यह दलील दी कि मृतक के भाई, अभि. सा. 1 का आचरण अस्वाभाविक था, क्योंकि उसने अपने छोटे

भाई को बचाने का कोई प्रयत्न नहीं किया था बल्कि उसकी रुचि केवल शिकायत (प्रदर्श-क 3) तैयार करने और पुलिस थाने जाने में थी । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से बंदूक की 4 गोलियों से पहुंचीं क्षतियां दर्शित होती हैं, जो कि मौखिक साक्ष्य के संगत नहीं हैं और मौखिक और चिकित्सीय साक्ष्य के बीच फर्क को उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभि. सा. 3 एक संयोगी साक्षी है और उच्च न्यायालय ने ठीक ही यह अभिनिर्धारित किया कि घटना के समय अभि. सा. 1 के मकान में उसकी मौजूदगी अस्वाभाविक है । यह दलील दी गई कि अभियोजन का पक्षकथन अत्यंत संदेहास्पद है चूंकि अन्वेषण के दौरान घटनास्थल से न तो अग्न्यायुध और न ही कारतूसों के "खोल" बरामद किए गए थे और अभियोजन पक्ष द्वारा प्राक्षेपिकी विज्ञानी की रिपोर्ट यह साबित करने के लिए कि मृतक के शरीर पर क्षति अभियुक्त द्वारा अभिकथित आयुधों से कारित की गई थी, प्राप्त नहीं की गई थी ।

13. अभियुक्त सं. 1 लालू **उर्फ** लाल दीवान की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल, श्री कार्तिकेय भार्गव ने यह दलील दी कि अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य के बीच इस बारे में विरोधाभास हैं कि क्या घटना से पूर्व हाथापाई हुई थी या नहीं और इस बात का विचारण न्यायालय द्वारा उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि अभियोजन पक्ष द्वारा मृतक के शरीर पर पाई गई बहुत सारी खरोंचों के बारे में उचित रूप से स्पष्ट नहीं किया गया था और उच्च न्यायालय ने अभियुक्तों की दोषसिद्धि और आक्षेपित निर्णय को उलट कर ठीक किया है तथा आक्षेपित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

14. हमने दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया और अभिलेख पर के आक्षेपित निर्णय और सामग्री का परिशीलन किया । विचार करने के लिए प्रश्न यह है कि, जैसी कि अपीलार्थियों द्वारा दलील दी गई है, क्या उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किए बिना प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 की दोषसिद्धि को अपास्त करके

गलती की है या नहीं ।

15. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि तारीख 17 नवंबर, 1992 को लगभग 9.00 बजे पूर्वाह्न में मृतक रवि प्रकाश दुकान से गुटखा खरीदने के पश्चात् वापिस आते समय जब शंकर तेली की आटा चक्की के पास पहुंचा तो अभियुक्त भूपेन्द्र यादव (अभि. सा. 2) जिसके पास दुनाली बंदूक थी, अभियुक्त राजू तेली (अभि. सा. 4) जो एक नाली बंदूक से लैस था और अभियुक्त लालू **उर्फ** लाल दीवान (अभि. सा. 1) जो देशी पिस्तौल (तमंचा) से लैस था, ने रवि प्रकाश को पकड़ लिया और रवि प्रकाश ने शोर मचाया और अभियुक्तों के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की । उस समय अभियुक्त भूपेन्द्र यादव, राजू तेली और लालू **उर्फ** लाल दीवान ने अपने-अपने आयुधों से गोली चलाई और रवि प्रकाश की क्रमश: छाती टांग और जबड़े पर गोली मारी, जिसके कारण रवि प्रकाश घटनास्थल पर गिर गया । अपीलार्थी जय प्रकाश (अभि. सा. 1), अजय कुमार (अभि. सा. 3) और संजय मिश्रा रवि प्रकाश को बचाने के लिए घटनास्थल की ओर दौड़े और उन्हें देखकर सभी तीनों अभियुक्त घटनास्थल से भाग गए । शिकायत/प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श क 3) और अभि. सा. 1 के कथन के अनुसार भी उसने सुबह की सैर और उरई बस अड्डे के पास शौच से निवृत्त होने के पश्चात् वापस घर आते समय प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को अपने पास आयुध लिए हुए शंकर तेली की आटा चक्की में बैठे हुए देखा था । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी के परिवार और अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के परिवार के बीच पूर्ववर्ती दुश्मनी थी, जो रवि प्रकाश की मृत्यु का कारण है । जब यह हेतु था और यदि अभियुक्त इस प्रकार आयुधों के साथ शंकर तेली की आटा चक्की में पाए गए थे, तो प्रश्न यह उद्भूत होता है कि अपीलार्थी ने अपने भाई रवि प्रकाश को चोको कोरी नामक व्यक्ति की दुकान से गुटखा खरीदने के लिए क्यों भेजा ? इस बात का अपीलार्थी द्वारा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था ।

16. प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 आयुधों से लैस होकर शंकर तेली की आटा चक्की में बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे । अभियोजन पक्ष द्वारा अभिकथित हेतु यह है कि घटना से लगभग 2

वर्ष पूर्व ओम प्रकाश अपीलार्थी जय प्रकाश के भाई ने अभियुक्त भूपेन्द्र यादव के अवैध कार्यकलापों के बारे लिखा था और समाचारपत्र में समाचार प्रकाशित कराया था, जिसके कारण अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने ओम प्रकाश पर हमला किया था । इस बाबत ओम प्रकाश ने पुलिस थाने में एक आपराधिक मामला दर्ज कराया था और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी और इस दुश्मनी के कारण अभियुक्तों ने अभिकथित रूप से रवि प्रकाश की हत्या की थी । अपीलार्थी जय प्रकाश और रवि प्रकाश दोनों ओम प्रकाश के भाई हैं । यदि अभियुक्त रवि प्रकाश के भाई ओम प्रकाश से बदला लेने की ताक में थे तो प्रत्यर्थी-अभियुक्तों ने जय प्रकाश (अभि. सा. 1) को अपहानि कारित किए बिना कैसे छोड़ दिया था, इतना ही नहीं, जबकि अभि. सा. 1 को प्रसामान्यत: सुबह की सैर पर जाने की आदत थी । यदि अपराध के हेतु को स्वीकार किया जाता है तो ओम प्रकाश के सभी भाइयों को निशाना बनाया जाता, किंतु यहां हमला केवल मृतक भाई पर किया गया था और अभि. सा. 1 को छोड़ दिया गया था । यद्यपि हमलावर पूरी तरह से आयुधों से लैस थे और घटनास्थल के निकट थे । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, अभियोजन का यह पक्षकथन स्वाभाविक प्रतीत नहीं होता है कि प्रत्यर्थी अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 ने रवि प्रकाश पर हमला किया था, जो गुटखा खरीदने के पश्चात् संयोगवश आटा चक्की से होकर गुजर रहा था ।

17. अभि. सा. 3 अजय कुमार ने यह कथन किया कि घटना की तारीख अर्थात् 17 नवंबर, 1992 को वह संजय मिश्रा के साथ मैकू सोनी नामक व्यक्ति की पुत्री के विवाह समारोह के लिए उनके मोहल्ले में बिजली की सजावट करने के बारे में चर्चा करने के लिए जय प्रकाश (अभि. सा. 1) के मकान पर गया था । स्वीकृत: रूप से, रवि प्रकाश पेशे से इलेक्ट्रीशियन था जो बिजली का और सजावट का कार्य करता था । यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मृतक रवि प्रकाश, जो बिजली और सजावट का कार्य करता था, प्रत्याशित ग्राहक अर्थात् अभि. सा. 3 से चर्चा करने की आवश्यकता समझने की बजाय गुटखा खरीदने क्यों गया था । विचित्र बात है कि मैकू रवि प्रकाश के मकान पर चर्चा करने के

लिए अजय कुमार (अभि. सा. 3) और संजय मिश्रा के साथ नहीं गया था । जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा उल्लेख किया गया है, न तो मैकू और न ही परिवार का कोई सदस्य मैकू की पुत्री के विवाह समारोह के लिए सजावट करने के बारे में बातचीत करने के लिए अभि. सा. 3 के साथ गया था । इस बात से घटनास्थल पर अभि. सा. 3 की मौजूदगी और अभियोजन के पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

18. इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 1 के अभिसाक्ष्य के अनुसार मुन्ना मुसलमान के चबूतरे पर एक गुमटी स्थित है, जिससे गुटखा लिया जा सकता है । यह गुमटी अपीलार्थी के मकान से केवल 15 कदम दूर है और चोको कोरी की दुकान, जहां से रवि प्रकाश गुटखा खरीदने के लिए गया था, लगभग 150 - 200 कदम की दूरी पर है, यानी कि अपीलार्थी के मकान से 100-125 कदम दूर । यह कहीं भी नहीं कहा गया है कि मृतक अपने मकान के ठीक निकट से गुटखा नहीं लेकर अपने मकान से कुछ दूरी की दुकान पर क्यों गया था । निस्संदेह, अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि उसने रवि प्रकाश को गुटखा खरीदने के लिए धन दिया था, तथापि, तत्पश्चात् उसने यह कथन किया कि चोको कोरी की दुकान में उधार का खाता बनाए रखा गया था । जो यह कारण बताया गया है कि रवि प्रकाश बिजली की सजावट के कार्य के अपने प्रत्याशित ग्राहक को छोड़कर थोड़ी दूर स्थित चोको कोरी की दुकान से गुटखा खरीदने गया था, वह पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं है ।

19. अभि. सा. 3 अजय कुमार मोहल्ला मुगलपुरा नगर और पुलिस थाना रथ, जिला हमीरपुर का निवासी है । अभि. सा. 3 ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया कि वह संजय मिश्रा के साथ अभि. सा. 1 के मकान पर गया था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया कि उसने अभि. सा. 1 को बाहर से पुकारा था और जब वह अभि. सा. 1 से बात कर रहा था, तब अभि. सा. 1 ने रवि प्रकाश को दुकान से अजय कुमार और संजय मिश्रा से गुटखा लाने के लिए कहा था । जैसी कि पहले चर्चा की गई है जब अभि. सा. 3 मैकू की पुत्री के विवाह समारोह के लिए बिजली की सजावट के कार्य के बारे में चर्चा करने के लिए अभि. सा. 1 के मकान पर गया था, तब न तो मैकू और न ही उसके परिवार का कोई

सदस्य मैकू की पुत्री के विवाह समारोह में बिजली कार्य के बारे में चर्चा करने के लिए अभि. सा. 3 के साथ गया था । अभि. सा. 3 अपनी प्रतिपरीक्षा में वह कारण स्पष्ट नहीं कर सका कि वह अभि. सा. 1 के मकान पर क्यों गया था । उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अभि. सा. 3 एक संयोगी साक्षी है और तारीख 17 नवंबर, 1992 को घटनास्थल पर अभि. सा. 3 की मौजूदगी के बारे में संदेह व्यक्त किया है और हम एक भिन्न दृष्टिकोण अपनाने के लिए कोई उचित कारण नहीं पाते हैं ।

20. घटना के बारे में अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 के साक्ष्य के बीच कई तात्विक विसंगतियां हैं । अभि. सा. 3 ने यह कथन किया कि जब रवि प्रकाश रास्ते से गुजरा, तब प्रत्यर्थी-अभियुक्त आटा चक्की से बाहर आए और रवि प्रकाश के साथ कुछ समय के लिए हाथापाई हुई तथा अभियुक्तों ने अपनी बंदूकों और पिस्तौल से गोलियां चला दीं । दूसरी ओर, अभि. सा. 1 ने केवल यह कथन किया कि प्रत्यर्थी-अभियुक्तों ने रवि प्रकाश पर गोली चलाई थी और हाथापाई होने के बारे में कोई कथन नहीं किया है । साक्षियों से, जिन्होंने पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् न्यायालय में अभिसाक्ष्य दिया था, मामले की हू-ब-हू स्मृति रखने की प्रत्याशा नहीं की जा सकती है । हमें इस स्थिर स्थिति का भान है कि अभियोजन पक्षकथन के सार भाग को प्रभावित न करने वाली विसंगतियों से साक्षियों या अभियोजन के पक्षकथन की विश्वसनीयता पर असर नहीं पड़ेगा । निस्संदेह, अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने न्यायालय में लगभग एक दशक के पश्चात् वर्ष 2003-04 में साक्ष्य दिया था, किंतु उन्होंने कथित रूप से घटना को अति निकट से देखा था । रवि प्रकाश और प्रत्यर्थी अभियुक्तों के बीच हाथापाई हुई थी या नहीं, यह मुख्य घटना का एक अभिन्न भाग है और साक्षियों से अपने समरूप बयान देने की प्रत्याशा की जाती है । हाथापाई हुई थी या नहीं, इस बारे में अभि. सा. 1 और 3 के बयान में आई विसंगतियों को अभियोजन पक्ष द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है और इस बात से भी अभियोजन के पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

21. **चिकित्सीय साक्ष्य** अभि. सा. 1 और 3 के अभिसाक्ष्य के

अनुसार, अभियुक्त भूपेन्द्र यादव ने मृतक की छाती पर गोली मारी थी, लालू **उर्फ** लाल दीवान ने जबड़े पर गोली मारी थी और राजू तेली ने मृतक की टांग पर गोली मारी थी । तारीख 17 नवंबर, 1992 की मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार अग्न्यायुध के चार विदीर्ण घाव थे । छाती, जांघ और टांग पर क्षतियों के अतिरिक्त घुटने के 2 सें. मी. ऊपर दाईं जांघ पर अग्न्यायुध की एक क्षति थी । अभि. सा. 1 और अभि. सा. 3 ने चौथी अग्न्यायुध की क्षति के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, न ही उन्होंने अभियुक्तों द्वारा कई सारी गोलियां चलाने का कोई उल्लेख किया है । चिकित्सीय साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच यह विसंगति साक्षियों द्वारा दिए गए विस्तृत अभिसाक्ष्यों और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, जिसमें संपूर्ण घटना का सूक्ष्म ब्यौरा दिया गया है, को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण हो जाती है ।

22. मामले के अन्वेषण में भी मृतक पर बंदूकों से दागे गए कारतूसों के "खोल" की बरामदगी न होना, प्रत्यर्थी अभियुक्तों द्वारा प्रयुक्त किए गए अग्न्यायुधों आदि की बरामदगी न होना जैसी कई सारी चूक हैं । यह सुस्थिर है कि अन्वेषक अधिकारी की ओर से किया गया कोई लोप अभियोजन के पक्षकथन के विरुद्ध नहीं जा सकता है । यदि अन्वेषक अधिकारी ने उस बात का लोप किया है जो उसे न्याय के हित में करनी चाहिए थी, इससे यह अभिप्रेत है कि अन्वेषक अधिकारी से ऐसे कृत्यों या लोप को अभियुक्त के पक्ष में नहीं लिया जाना चाहिए । अभि. सा. 5 अन्वेषक अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि कारतूसों के टूटे हुए टुकड़े, कारतूसों के छर्रे और खाली खोल घटनास्थल से बरामद नहीं हुए थे । अभि. सा. 4 पुलिस उप निरीक्षक ने भी घटनास्थल से "कारतूसों के खाली खोलों" की बरामदगी के बारे में उल्लेख नहीं किया है । निस्संदेह, अभियोजन के पक्षकथन पर केवल आयुधों की बरामदगी न होने या अन्य साक्ष्य के आधार पर संदेह नहीं किया जा सकता है । किंतु वर्तमान मामले में घटना के ठीक पश्चात् अर्थात् 9.30 बजे पूर्वाह्न में एक विस्तृत लिखित प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी । पुलिस उप निरीक्षक (अभि. सा. 5) ने शीघ्रता

से अन्वेषण का कार्य संभाला था और अभि. सा. 5 उप निरीक्षक आर. एन. सिंह ने अभि. सा. 5 के निदेश पर घटनास्थल से सादा और रक्त रंजित मिट्टी ली थी तथा मृतक के एक जोड़ी चप्पल और किसान गुटखे का पैकेट बरामद किया था तथा उनका बरामदगी ज्ञापन बनाया था, जो क्रमश: प्रदर्श क 10 और प्रदर्श क 11 हैं । जब अन्वेषक अधिकारी ने घटनास्थल से किसान गुटखे के पैकेट तक की बरामदगी करने में सावधानी बरती थी तो विचित्र बात है कि दागे गए कारतूसों के "खोल" बरामद नहीं किए गए थे । "खोल" जैसे तात्विक साक्ष्य गायब थे, किंतु इस महत्वपूर्ण लोप को स्पष्ट नहीं किया गया था । यह तथ्य विशिष्ट रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मायने रखता है कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट अभिकथित रूप से घटना, जो 9.00 बजे पूर्वाह्न में घटी थी, के पश्चात् शीघ्रता से 9.30 बजे रजिस्ट्रीकृत की गई थी । मृत्युसमीक्षा भी 10.00 बजे पूर्वाह्न में की गई थी और अन्वेषण भी शीघ्रता से आरंभ किया गया था । अभियुक्त-प्रत्यर्थी अभिकथित रूप से मृतक पर गोली चलाने के ठीक पश्चात् घटनास्थल से भाग गए थे, इस प्रकार उनके द्वारा संभवत: स्वयं कारतूसों, उनके टुकड़ों आदि को नहीं उठाया जा सकता था । यह अभियोजन का पक्षकथन नहीं है । अभियोजन का यह भी पक्षकथन नहीं है कि वह साफ क्षेत्र था और किसी ने "खोलों" को उठा लिया था । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए, घटनास्थल से "कारतूसों के छर्रे और खाली खोलों" और "कारतूसों के टूटे हुए टुकड़े" की बरामदगी न होने से वास्तविक घटनास्थल के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है । जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, लोप का कोई कृत्य/अन्वेषक अधिकारी का लोप अभियुक्त के फायदे में नहीं जा सकता है । किंतु इस प्रकृति के मामले में जहां प्रथम इत्तिला रिपोर्ट घटना के आधे घंटे के पश्चात् रजिस्ट्रीकृत की गई थी और अन्वेषण भी उसी समय आरंभ हो गया था, हम कोई कारण नहीं पाते हैं कि घटनास्थल से "खोल" और "छर्रे" क्यों बरामद नहीं किए गए थे ।

23. इसके अतिरिक्त, अन्वेषक अधिकारी शोभा मणि त्रिपाठी (अभि. सा. 5) के साक्ष्य अनुसार अभियुक्त घटना के अगले ही दिन

अर्थात् 18 नवंबर, 1992 को गिरफ्तार किए गए थे । यद्यपि अभियुक्तों को अगले ही दिन गिरफ्तार किया गया था, तो भी उनके द्वारा प्रयुक्त किए गए आयुध बरामद नहीं किए गए थे । निस्संदेह अभियोजन के पक्षकथन की परीक्षा आयुध आदि की बरामदगी न करने जैसे अन्वेषक अधिकारी के ऐसे लोप से असंबद्ध करके की जानी चाहिए । किंतु अभि. सा. 1 और 3 के साक्ष्य में तात्विक विसंगतियों के साथ-साथ अभियोजन के पक्षकथन की अस्वाभाविकता, आयुधों और कारतूसों के खोल की बरामदगी न करने से अभियोजन के पक्षकथन के बारे में गंभीर संदेह उत्पन्न होता है ।

24. अपील न्यायालय का कर्तव्य अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार और मूल्यांकन करना तथा एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचना है । विचारण न्यायालय की तरह अपील न्यायालय को भी अपने निष्कर्ष से संतुष्ट होना आवश्यक है । **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **पुन्नी और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित की गई दोषमुक्ति पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि यह न्यायालय सामान्यतया तब तक उच्च न्यायालय के निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा जब तक कि उसका यह समाधान नहीं हो जाता है कि साक्ष्य का मूल्यांकन किसी स्पष्ट खामी से दूषित नहीं है या ऐसा निष्कर्ष अनुचित या मनमाना नहीं है । वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण किया है और अपना यह निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि विचारण न्यायालय ने अभियोजन के पक्षकथन में की तात्विक विसंगतियों का मूल्यांकन करने में गलती की है । उच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी- अभियुक्त सं. 1, 2 और 4 को दोषमुक्त करते हुए अभिलिखित किए गए निष्कर्षों में ऐसी कोई कमी नहीं है, जिससे आक्षेपित निर्णय में हस्तक्षेप करना अपेक्षित हो । शिकायतकर्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं ।

---

[1] (2008) 11 एस. सी. सी. 153.

25. परिणामतः, 2005 की दांडिक अपील सं. 2403 और 5829 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा तारीख 16 नवंबर, 2018 को पारित किए गए आक्षेपित निर्णय की अभिपुष्टि की जाती है और अपीलार्थी जय प्रकाश द्वारा फाइल की गई 2000 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 269-70 से उद्भूत दांडिक अपीलें और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा फाइल की गई 2019 की विशेष इजाजत याचिका (दांडिक) सं. 288-89 से उद्भूत दांडिक अपीलें खारिज की जाती हैं ।

अपीलें खारिज की गईं ।

जस.